



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ए.पी.-अ.-20082026-275623
CG-AP-E-20082026-275623

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4395]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948

No. 4395]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण तट रेलवे)

अधिसूचना

विशाखपट्टणम, 18 अगस्त, 2026

का.आ. 4575(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 11 मई, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 2297 (ई), 27 अप्रैल, 2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 2388(ई) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर कड़पा जिले के मुद्दनूर गांव और मंडल में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 3000एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी के कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – गुंतकल-कड़पा सेक्शन में मुद्दनूर टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचारपत्रों, “साक्षी (वाईएसआर कड़पा मेन) (तेलुगु)”, “एबीएन आंध्र ज्योती (तेलुगु)”, और “डेक्कन क्रॉनिकल (अंग्रेजी)” में 15 मई, 2026 को एच.के.भगोरिया, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- I, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और जबकि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, बापट्ला को धारा 20डी आपत्तियां प्राप्त हुई और रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 20डी के उप-धारा(2) अंतर्गत इनपर विचारोपरांत आपत्तियों को अस्वीकार किया गया और तदनुसार आदेश पारित किए गए. एवं जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1)

के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य- आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर कड़पा जिले के मुद्दनूर गांव और मंडल में गुंतकल-कड़पा सेक्शन में मुद्दनूर टीएसएस का निर्माण.

क्र.सं	मंडल और गांव का नाम	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (एकड़/ हेक्टेरों में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	एंजॉयर का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	संरचना/ अभ्युक्ति
1	मुद्दनूर मंडल और मुद्दनूर गांव	410/1	1.21/ 0.4896	पट्टा	शुष्क	अब्बारु वेंगालाराव सुपुत्र सुब्बारायडु	1.21	
2		411/2	0.09 / 0.0364	सरकारी	पोरंबोक	रेलवे	0.09	
3		412	0.12 / 0.0485	पट्टा	शुष्क	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	0.12	
4		413/ 1A1	1.09/ 0.437	पट्टा	शुष्क	मट्टम कुमार स्वामी सुपुत्र एम.सी.वेंगय्या	1.08	
5		413/ 1A2	0.16 / 0.0647	पट्टा	शुष्क	मठम चिन्ना यंगय्या सुपुत्र यंगय्या	0.16	
6		414/ 2B2	0.17 / 0.0687	पट्टा	शुष्क	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	0.15	
						शेष	0.02	
7		414/ 3B2	0.11 / 0.0444	पट्टा	शुष्क	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	0.095	
						शेष	0.0150	
8		414/ 3C2	0.09/ 0.0363	पट्टा	शुष्क	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	0.075	
						रेलवे	0.01	
						शेष	0.005	
9		414/ 4B2	0.18/ 0.0728	पट्टा	शुष्क	अब्बारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	0.18	
10		414/ 5B	0.19/ 0.0768	पट्टा	शुष्क	ऊटला वेंकट रामकृष्ण मूर्ती सुपुत्र वेंकटेश्वर्लु	0.19	

11		440	0.08/ 0.0323	पट्टा	शुष्क	अव्वारु रमेश सुपुत्र वेंकट सुब्बय्या	0.08	
सकल योग			3.48 एकड़					
			1.408 हेक्टेर				3.48	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/MOO/20E]

एच.के.भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-I

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Coast Railway)
NOTIFICATION

Visakhapatnam, the 18th August, 2026

S.O. 4575(E) .— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O.2388(E), dated the 27th April, 2026 published in Gazette of India vide Gazette No.2297 Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 11th May, 2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, “Construction of Muddanuru TSS in Guntakal –Kadapa section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1 X 25 KV to 2 X 25 KV to meet 3000 MT loading target” in Muddanuru village & Mandal in YSR Kadapa District in the state of Andhra Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Sakshi (YSR kadapa Main)” (Telugu), “ABN Andhra Jyothi” (Telugu), “and Deccan chronicle” (English), “dated 15th May, 2026 with the approval of H.K. Bhagoria, Chief Engineer, Construction-I, South Central Railway, Secunderabad.

And, whereas, NO objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: Construction of Muddanuru TSS in Guntakal –Kadapa section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1 X 25 KV to 2 X 25 KV to meet 3000 MT loading target in Muddanuru village & Mandal in YSR Kadapa District in the state of Andhra Pradesh.

S.No.	Name of the Mandal & Village	Survey No	Extent (in AC./ HC)	Type of land	Nature of land	Name of the enjoyer	Extent (in Acre)	Structure/remarks
1	Muddanuru Mandal and Muddanuru Village	410/1	1.21/ 0.4896	Patta	Dry	Avvaru Vengalarao S/o Subbarayudu	1.21	
2		411/2	0.09 / 0.0364	Govt	Poram boke	Railways	0.09	

3		412	0.12 / 0.0485	Patta	Dry	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	0.12	
4		413/ 1A1	1.09/ 0.437	Patta	Dry	Mattam Kumar Swamy S/o M.C Vengaiah	1.08	
5		413/ 1A2	0.16 / 0.0647	Patta	Dry	Matham Chinna Yangaiah S/o Yangaiah	0.16	
6		414/ 2B2	0.17 / 0.0687	Patta	Dry	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	0.15	
						Migulu	0.02	
7		414/ 3B2	0.11 / 0.0444	Patta	Dry	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	0.095	
						Migulu	0.0150	
8		414/ 3C2	0.09/ 0.0363	Patta	Dry	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	0.075	
						Railways	0.01	
						Migulu	0.005	
9		414/ 4B2	0.18/ 0.0728	Patta	Dry	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	0.18	
10		414/ 5B	0.19/ 0.0768	Patta	Dry	Ootla Venkata Ramakrishna Murthy S/o Venkateswarlu	0.19	
11		440	0.08/ 0.0323	Patta	Dry	Avvaru Ramesh S/o Venkata Subbaiah	0.08	
Grand Total			3.48 Acres					
			1.408 Hectare				3.48	

[F. No.W.Con/182/SRP/TSS/MOO/20E]

H.K. BHAGORIA, Chief Engineer/Con-I